निशान ।।।
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, पाटन बनाम गै.मु.रास्ता (बिहारीपुर)

किस्म मुकदमा :- गैoमुo रास्ता धारा 131 व 132 मुoनं0 02 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2025	पत्रावली तहसीलदार, पाटन के पत्रांक राजस्व / 2024 / 986 दिनांक 31.12.2024 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर पक्षकार को जरिये सम्मन / रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.01.2025 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
09-01-2025	पत्रावली पेश हुयी। तहसीलदार पाटन उपस्थित। तहसीलदार पाटन को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 986 दिनांक 31.12.2024 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **बिहारीपुर** पटवार मण्डल बिहारीपुर तहसील **पाटन** स्थित भूमि खसरा नम्बर **1390 / 1021 रकबा 2.59 हैक्ट. किस्म गै.मु.बेहड़ में से 0.13 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 956 रकबा 8.62 हैक्ट0 किस्म गै.मु.बेहड़ में से 0.27 हैक्ट. रास्ता कुल 06 मीटर चौड़ा व 665 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता ग्राम बिहारीपुर से ग्राम जीलों सीमा तक** का प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत बिहारीपुर का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न फोटोग्राफ, गुगल नक्शा पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की ... राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, पाटन द्वारा प्रस्तावित **प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस** आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना